न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 06/2026 / (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2026/4

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सांगोद जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति नायक उम्र 36 साल निवासी खटीको का मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 12/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सांगोद** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति नायक उम्र 36 साल निवासी खटीको का मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद** जिला **कोटा** थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	320/7-12-24	13 आरपीजीओ	262/11-12-24	100रू0 जुर्माना
2.	325/21-12-24	13 आरपीजीओ	279/23-12-24	100रू0 जुर्माना
3.	22/22-01-25	13 आरपीजीओ	279/23-12-24	पैण्डिंग कोर्ट

अतः **लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति नायक उम्र 36 साल निवासी खटीको का मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वंय उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उक्त कार्यवाही/इस्तागासा का निस्तारण किये जाने बाबत् निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **सांगोद** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 03 से अधिक प्रकरण दर्ज हुए है। थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के अवलोकन पर गैरसायल के विरूद्व वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक 19 प्रकरण दर्ज हुए है। 12 प्रकरण में न्यायालय द्वारा गैरसायल को जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा 07 प्रकरण पेण्डिंग कोर्ट है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्ड़ित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल.को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति नायक उम्र 36 साल निवासी खटीको का मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **60** दिन के लिऐ **थाना सांगोद** कोटा की सीमा से **जिला बारां** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **60** दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 4/02/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **सांगोद** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति नायक उम्र 36 साल निवासी खटीको का मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद जिला कोटा** को दिनांक 4/02/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना **सांगोद** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला** बारां थानाधिकारी **सांगोद** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **सांगोद** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(बीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
★ कोटा (राज.) ★